भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 164**

दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**हेल्पलाइन का बंद किया जाना**

**\*164. श्रीमती विजिला सत्यानंतः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बच्चों पर होने वाले यौन हमलों के मामलों की सूचना देने के लिए उपलब्ध टोल-फ्री नंबर को अस्थायी तौर पर बंदकर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त हेल्पलाइन सरकार की ई-बॉक्स पहल के अंग के रूप में प्रारंभ की गई थी ताकि बच्चों के प्रति होने वाले यौन हमलों की शिकायतें दर्ज कराई जा सकें; और

(घ) यदि हां, तो कितने मामलों में इस हेल्पलाइन नंबर से सहायता मिल पाई है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्‍तुत है ।

**'हेल्पलाइन का बंद किया जाना' विषय पर श्रीमती विजिला सत्यानंत द्वारा दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 164 के उत्‍तर में संदर्भित विवरण**

(क) और (ख) : बाल यौन दुरुपयोग के मामलों की सूचना प्रदान करने के लिए राष्‍ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का एक हैल्‍पलाइन नम्‍बर है । यह हैल्‍पलाइन नं. 17.08.2018 से 06.11.2018 तक निलंबित रहा था । यह नम्‍बर इस समय चालू है ।

 इसके अलावा, एनसीपीसीआर पोक्‍सो ई-बॉक्‍स प्रचालित कर रहा है, जहां निम्‍नलिखित के माध्‍यम से शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं :

ईमेल : pocsoebox-ncpcr@gov.in

मोबाइल नं. : 9868235077

टोल फ्री नम्‍बर : 1800115455

एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर उपलब्‍ध पोक्‍सो ई-बटन

(ग) : यह हैल्‍पलाइन सरकार की ई-बॉक्‍स पहल के अंग के रूप में शुरू की गई ताकि बच्‍चों के विरूद्ध यौन अपराधों की शिकायतें दर्ज कराई जा सकें ।

(घ) : पोक्‍सो ई-बॉक्‍स लांच किए जाने के बाद 26 अगस्‍त, 2016 से 20 सितम्‍बर, 2018 तक हैल्‍पलाइन नम्‍बर पर कुल 3213 हिट्स प्राप्‍त हुए हैं । इन हिट्स में से 135 मामलों को यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत शामिल पाया गया ।

\*\*\*\*\*

**स्‍थिति संख्‍या : 14**

**'हेल्पलाइन का बंद किया जाना' विषय पर श्रीमती विजिला सत्यानंत द्वारा दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को पूछा जाने वाला राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 164**

**कार्यकारी सारांश**

**प्रश्‍न का बल :**

श्रीमती विजिला सत्यानंत, संसद सदस्‍य, राज्‍य सभा ने 27.12.2018 को उत्‍तर के लिए तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 164 पूछा है ।

 प्रश्‍न का बल यह जानने पर है कि क्‍या यह सच है कि बाल यौन हमला के मामलों की सूचना प्रदान करने के लिए टोल फ्री नम्‍बर अस्‍थायी रूप से निलंबित है और यदि हां, तो उसका ब्‍यौरा क्‍या है और क्‍या यह हैल्‍पलाइन सरकार की ई-बॉक्‍स पहल के रूप में शुरू की गई ताकि बच्‍चों के विरूद्ध यौन अपराधों की शिकायतें दर्ज कराई जा सकें और यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्‍या कितनी है जिनमें हैल्‍पलाइन नम्‍बर ने सहायता प्रदान की है?

**उत्‍तर का बल :**

 उत्‍तर का बल बाल यौन दुरुपयोग के मामलों की सूचना प्रदान करने के लिए हैल्‍पलाइन नम्‍बर के संबंध में राष्‍ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर आधारित है । यह हैल्‍पलाइन नं. 17.08.2018 से 06.11.2018 तक निलंबित रहा था । यह नम्‍बर इस समय चालू है । इसके अलावा, एनसीपीसीआर पोक्‍सो ई-बॉक्‍स प्रचालित कर रहा है, जहां निम्‍नलिखित के माध्‍यम से शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं : ईमेल: pocsoebox-ncpcr@gov.in, मोबाइल नं. : 9868235077, टोल फ्री नम्‍बर : 1800115455, एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर उपलब्‍ध पोक्‍सो ई-बटन। यह हैल्‍पलाइन सरकार की ई-बॉक्‍स पहल के अंग के रूप में शुरू की गई ताकि बच्‍चों के विरूद्ध यौन अपराधों की शिकायतें दर्ज कराई जा सकें । पोक्‍सो ई-बॉक्‍स लांच किए जाने के बाद 26 अगस्‍त, 2016 से 20 सितम्‍बर, 2018 तक हैल्‍पलाइन नम्‍बर पर कुल 3213 हिट्स प्राप्‍त हुए हैं । इन हिट्स में से 135 मामलों को यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत शामिल पाया गया ।

 बाल यौन दुरुपयोग से संबंधित मामले काफी संख्‍या में हर रोज़ मीडिया में सूचित किए जा रहे हैं । माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार ने आयोग को पोक्‍सो के मामलों की सरलता से सीधे सूचना प्रदान करने के लिए 26 अगस्‍त, 2016 को एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर पोक्‍सो ई-बॉक्‍स/ईमेल/एसएमएस लांच किया । पोक्‍सो ई-बॉक्‍स पीड़ित से सीधे बाल यौन दुरुपयोग की शिकायत ऑनलाइन प्राप्‍त करने के लिए राष्‍ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का एक अनूठा प्रयास है । यह प्रणाली पीड़ित/शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनाए रखती है । ई-बॉक्‍स में शामिल एक लघु एनीमेशन फिल्‍म के माध्‍यम से यह आश्‍वस्‍त कराती है कि पीड़ित को बुरा, असहाय या भ्रमित महसूस नहीं करना चाहिए तथा साथ ही यह भावना भी जगाती है कि यह उसका दोष नहीं है । ई-बॉक्‍स की सहायता से चरण-दर-चरण मार्गदर्शित प्रक्रिया के माध्‍यम से शिकायत दर्ज कराना आसान है ।

 मंत्रालय ने यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्‍सो) अधिनियम, 2012 लागू किया है, जो यौन दुरुपयोग एवं शोषण से बच्‍चों की रक्षा करने के लिए एक विशेष कानून है । किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्‍चों तथा कानून का उल्‍लंघन करने वाले बच्‍चों के अधिकार की रक्षा करने के लिए प्राथमिक कानून है । किशोर न्‍याय अधिनियम को लागू करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीम अर्थात समेकित बाल संरक्षण स्‍कीम (आईसीपीएस) चलाई जा रही है जिसका उद्देश्‍य देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्‍चों के संरक्षण के लिए समर्पित संरचनाओं, सेवाओं एवं कार्मिकों का एक सुरक्षा जाल तैयार करना है । इसका उद्देश्‍य कठिन परिस्‍थितियों के शिकार बच्‍चों के कल्‍याण में सुधार करना तथा ऐसी स्‍थितियों एवं कार्रवाइयों के प्रति भेद्यता में कटौती करना है, जिनसे बच्‍चों के दुरुपयोग, शोषण तथा उनके परिवारों से अलगाव आदि का मार्ग प्रशस्‍त होता है । आईसीपीएस विपदाग्रस्‍त बच्‍चों एवं उनके परिवारों के लिए एक चौबीस घंटे टोल फ्री हैल्‍पलाइन नम्‍बर 1098 प्रदान करती है । बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत स्‍थापित राष्‍ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग को पोक्‍सो अधिनियम, 2012 तथा जेजे अधिनियम, 2015 के प्रभावी कार्यान्‍वयन की निगरानी करने का कार्य सौंपा गया है । देश में ऐसे दुरुपयोग/यौन दुरुपयोग/हिंसा से बच्‍चों की रक्षा के लिए एनसीपीसीआर द्वारा विभिन्‍न कदम उठाए गए हैं । गृह मंत्रालय द्वारा एक परामर्शी जारी की गई है जिसमें अन्‍य बातों के साथ सभी राज्‍यों एवं संघ राज्‍य क्षेत्रों से बच्‍चों के विरूद्ध सभी अपराधों के प्रभावी निवारण, अनुवेदन, पंजीकरण, जांच एवं अभियोजन के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है । पिछले तीन वर्षों के दौरान बच्‍चों के विरूद्ध दुरुपयोग/यौन दुरुपयोग/हिंसा के मामलों की संख्‍या नीचे दी गई है :

|  |  |
| --- | --- |
| **वर्ष** | **मामलों की संख्‍या** |
| 2014 | 89423 |
| 2015 | 94172 |
| 2016 | 106958 |

एनसीआरबी की रिपोर्ट में वर्तमान वर्ष के संबंध में कोई सूचना नहीं है । 2015 की तुलना में 2016 के 13.6% की वृद्धि हुई । राज्‍य-वार ब्‍यौरे नीचे दिए गए हैं :

**वर्ष 2014, 2015 और 2016 के दौरान बच्‍चों के विरूद्ध सूचित अपराध**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य का नाम**  | **2014** | **2015** | **2016** |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2059 | 1992 | 1847 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 134 | 181 | 133 |
| 3. | असम | 1385 | 2835 | 3964 |
| 4. | बिहार | 2255 | 1917 | 3932 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4358 | 4469 | 4746 |
| 6. | गोवा | 330 | 242 | 230 |
| 7. | गुजरात | 3219 | 3623 | 3637 |
| 8. | हरियाणा | 2540 | 3262 | 3099 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 467 | 477 | 467 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 211 | 308 | 222 |
| 11. | झारखंड | 423 | 406 | 717 |
| 12. | कर्नाटक | 3416 | 3961 | 4455 |
| 13 | केरल | 2391 | 2384 | 2879 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 15085 | 12859 | 13746 |
| 15 | महाराष्ट्र | 8115 | 13921 | 14559 |
| 16 | मणिपुर | 137 | 110 | 134 |
| 17 | मेघालय | 213 | 257 | 240 |
| 18 | मिजोरम | 178 | 186 | 188 |
| 19 | नगालैंड | 25 | 61 | 78 |
| 20 | ओडिशा | 2196 | 2562 | 3286 |
| 21 | पंजाब | 1762 | 1836 | 1843 |
| 22 | राजस्थान | 3880 | 3689 | 4034 |
| 23 | सिक्किम | 93 | 64 | 110 |
| 24 | तमिलनाडु | 2354 | 2617 | 2856 |
| 25 | तेलंगाना | 1930 | 2697 | 2909 |
| 26 | त्रिपुरा | 369 | 255 | 274 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 14835 | 11420 | 16079 |
| 28 | उत्तराखंड | 489 | 635 | 676 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 4909 | 4963 | 7004 |
| 30 | अंडमान व निकोबार | 50 | 102 | 86 |
| 31 | चंडीगढ़ संघ प्रशासित क्षेत्र | 208 | 271 | 222 |
| 32 | दादर और नगर हवेली | 11 | 35 | 21 |
| 33 | दमन और दीव | 7 | 28 | 31 |
| 34 | दिल्ली राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र | 9350 | 9489 | 8178 |
| 35 | लक्षद्वीप | 1 | 2 | 5 |
| 36 | पुद्दुचेरी | 38 | 56 | 71 |
|  **कुल** | **89423** | **94172** | **106958** |

**स्रोत: राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो, गृह मंत्रालय**

\*\*\*\*\*\*\*